-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 03 वर्ष के कारावास व 2500 रुपये जुर्मानें की सजा।**
- **साथ ही प्रकरण में अन्य 04 अभियुक्तों के मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 01-01 वर्ष के कारावास व कुल 6000 रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामले में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया तथा प्रकरण मे अन्य 04 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के कारावास व कुल 6000 रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.07.2021 को थाना कोतवाली नगर पर एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड, फोन पर अश्लील बातें करने व पीडित परिवार को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में पीड़िता की माँ की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह व श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित सिंह तथा पैरोकार आरक्षी अभिलाष यादव के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा धारा 147/354/504/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुख्य अभियुक्त मोनू को 03 वर्ष के कारावास व 2500 रुपए के अर्थदण्ड तथा अन्य 04 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष के कारावास व कुल 6000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. मोनू पुत्र प्यारेलाल निवासी कंचनपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। (मुख्य अभियुक्त)
2. उपमा पत्नी मोनू निवासी कंचनपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. अजय पुत्र प्यारेलाल निवासी कंचनपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. संजय पुत्र भउवा निवासी छिलोलर थाना कमासिन जनपद बांदा।
5. परवेज पुत्र भउवा निवासी छिलोलर थाना कमासिन जनपद बांदा।